राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत टोगी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम

(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत टोगी

निर्णय दिनांकः– 25.05.2015

1. श्री भगतसिंह पिता जसवंतसिंह रावत निवासी नन्दावट तहसील भीम

बनाम

1. श्री तवेरसिह पुत्र चिमनसिह जाति रावत निवासी मालातो की वेर तहसील टॉडगढ
2. श्री चुनसिहं पुत्र रासासिंह जाति रावत निवासी निचली बाला चाराट तहसील टॉडगढ
3. श्री उदयसिंह पुत्र किशनसिह जाति रावत निवासी राजियावास तहसील ब्यावर ।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम ।

प्रकरण संख्या :– 27/2015 रे.वा. **अन्तर्गत धाराः– 53, 54 आर.टी.ए**

उपर्युक्त प्रकरण में श्री भगतसिंह पिता जसवंतसिंह रावत निवासी नन्दावट तहसील भीम बनाम श्री तवेरसिह पुत्र चिमनसिह जाति रावत वगैरह निवासी मालातो की वेर तहसील टॉडगढ का प्रार्थना पत्र प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारो के बीच आज दिंनाक 25.05.2015 राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार 2015" कैम्प टोगी मे सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है। मौजा नन्दावट के आराजियात निम्न प्रकार हैः–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
239	1822	09 विस्वा 10 विस्वांसी	बारानी2

कुल किता 1 रकबा 9 विस्वा 10 विस्वांसी

खाता नम्बर	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
241	1819	6 विस्वा	बारानी 2
	1820	1 बीघा 3 विस्वा	बारानी 2

कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 9 विस्वा

उपरोक्त आराजियात मे से प्रतिवादी संख्या 1 तवेरसिंह का 1/4 हिस्सा, वादी भगतसिंह का 3/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 चूनसिंह का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 उदयसिंह का 1/8 हिस्सा होकर उक्त आराजियात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार है मौके पर बंटवारा नही होने के कारण शामिल फसल बोते जोते रहते है। सीमा चिन्हो का ज्ञान नही होने के कारण हमेशा वादी एवं प्रतिवादीगणो में लडाई झगडा होता रहता है।

आपसी राजीनामे से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि वादी एवं प्रतिवादीगणो के बीच अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का मौके पर बंटवारा किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

अन्तिम डिगरी

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, भीम

ब इजलास श्री नरेन्द्र कुमार जैन आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम। श्री भगतसिंह पिता जसवंतसिंह रावत निवासी नन्दावट तहसील भीम **बनाम** श्री तवेरसिह पुत्र छितरसिंह जाति रावत निवासी मालातो की वेर तहसील टॉडगढ, श्री चुनसिहं पुत्र रासासिंह जाति रावत निवासी निचली बाला चाराट तहसील टॉडगढ, श्री उदयसिंह पुत्र किशनसिह जाति रावत निवासी लाखियावास तहसील ब्यावर , राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 54 आर.टी.ए
मुकदमा नं. 62/2014 रे.वा.

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू.. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. के तहत् दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को मय समन के नोटिस दिये गये। बाद सूचना के राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार 2015" कैम्प टोगी में आपसी राजीनामें से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 तवेरसिंह का 1/4 हिस्सा, वादी भगतसिंह का 3/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 चूनसिंह का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 उदयसिंह का 1/8 हिस्सा होकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.05.2015 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
भीम, जिला–राजसमन्द

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा	2.00	00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00	00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)		
			पर		
महनताना वकील)			खर्चा गवाहान		
पर					
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् ईजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान	2.00	00	मीजान	2.00	00

नोट –इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।